

१

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) श्रीगंगानगर

:आदेश:

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता—अनुदान और सेवा शर्तें आदि) अधिनियम 1989 वे 1993 एवं राज्य सरकार के पत्रांक प9(2)शिक्षा—5/5 दिनांक 21.04.2011 एवं निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र दिनांक 25.04.2011 के निर्देशानुसार संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अण्डरटेकिंग के आधार पर सत्र 2011–12 से इनके नाम के सम्मुख अकित स्तर एवं माध्यम से मान्यता प्रदान की जाती है। मान्यता नियमों एवं विभागीय निर्देशों की गलना न करने पर मान्यता कभी भी निरस्त की जा सकती है।

क्र.सं.	संस्था का नाम व पता	मान्यता का स्तर	माध्यम
1.	शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल, श्री गुरुसरमोड़िया, सूरतगढ़	उच्च प्रारम्भिक	अंग्रेजी

संस्था द्वारा पहले वर्ष में कक्षा 6 प्रारम्भ की जायेगी एवं इसके बाद प्रत्येक वर्ष कक्षा 7 व 8।

११
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर

क्रमांक जिशिअ/गंगा/प्रारं/मान्यता/2011/38/२४१५ दिनांक:- 16/5/11
प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रियत :—

- (1) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
- (2) उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, चूरू।
- (3) ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सूरतगढ़।
- (4) व्यवस्थापक शाह सतनाम जी बॉयज स्कूल, श्री गुरुसरमोड़िया,
सूरतगढ़

११
जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रा.शि.) श्रीगंगानगर